भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2497

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

ईएलआई योजना

†**2497.श्री राजा राम सिंह:**

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अनुमोदित रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उक्त योजना के अंतर्गत पात्र क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) 1 जुलाई, 2025 को स्वीकृत और हाल ही में शुरू की गई रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के अंतर्गत अब तक सृजित औपचारिक नौकरियों की संख्या का क्षेत्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादर एवं नगर हवेली में वर्ष 2025 और 2028 के बीच उक्त योजना के माध्यम से सृजित होने वाली संभावित नई नौकरियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उक्त योजना हेतु अनुमानित धनराशि आबंटन कितना है;

(ङ) क्या सरकार ने विशेष क्षेत्र में इस योजना को लागू करने पर कोई प्रभावी मूल्यांकन या प्रायोगिक अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन के क्षेत्र-वार निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को, विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता को बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ बनाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार

जारी/-2

से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी। यह योजना 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई थी। इस योजना में दिनांक 01.08.2025 से 31.07.2027 तक की दो वर्ष की पंजीकरण अवधि है और इसका 99,446 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना के तहत अनुमानित बजट रू.20,082 करोड़ है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। सभी योजना-संबंधित प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दादर और नगर हवेली राज्य सहित) की अवधि में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना में दो भाग शामिल हैं अर्थात भाग क और भाग ख तथा यह प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। यह योजना भाग क के अंतर्गत 1.92 करोड़ नए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना के भाग ख के तहत नियोक्ताओं को 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत कुल 1.14 लाख प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण किया है। इन प्रतिष्ठानों ने योजना के तहत 16.17 लाख काम पर आने वाले नए कर्मचारियों और 40.14 लाख पुराने कर्मचारियों को फिर से शामिल किया है।

यह योजना श्रम गहन मंत्रालयों, ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों और विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है।

***